

A-4/1

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 112/2020

1. विक्रम सिंह पुत्र अन्तरसिंह,
2. सरीता पत्नी विक्रम सिंह,  
जाति जाट, निवासीगण वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( न0पा0 चुनाव एवं एस0डी0एम0 )  
चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

एवं

अपील संख्या 113/2020

जगमती पत्नि जय सिंह, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला  
झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( न0पा0 चुनाव एवं एस0डी0एम0 )  
चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( न0 पा0 चुनाव ) चिडावा बाबत जोडे जाने  
वार्ड न0 34 चिडावा की मतदाता सूची मे नाम

उपरिथत

1. श्री विजय डाबला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोंडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 16.09.2020  
17

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0ओ0 ) चिडावा के आदेश  
के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ  
सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्त के अनुसार इस प्रकार है कि अपीलान्त कदीमी  
अरसे से नगरपालिका चिडावा वार्ड नं0 34 क्षेत्र मे आबाद चले आ रहे है। वर्तमान मे अपीलान्त का निवास  
स्थान नगरपालिका चिडावा के वार्ड न0 34 मे स्थित है। आवेदक मय परिवार आबाद है। जांचकर्ता ने मौके  
पर जाकर कोई जांच नही की है बल्कि कार्यालय मे बैठकर ही अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट कर दी। अपीलान्त  
के राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दस्तावेज सब नगरपालिका चिडावा के है। आवेदक का नाम  
नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची के वार्ड न0 30 मे गलत जोड दिये गया। अपीलान्ती वार्ड न0 34

~~जिला कलेक्टर झुंझुनू~~

छाया प्रति प्रमाणित  
कार्यालय अधीक्षक  
कलेक्टर, झुंझुनू

A-4/1

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 112/2020

1. विक्रम सिंह पुत्र अन्तरसिंह,
2. सरीता पत्नी विक्रम सिंह,  
जाति जाट, निवासीगण वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( न0पा0 चुनाव एवं एस0डी0एम0 )  
चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

एवं

अपील संख्या 113/2020

जगमती पत्नि जय सिंह, जाति जाट, निवासी वार्ड न0 34, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला  
झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( न0पा0 चुनाव एवं एस0डी0एम0 )  
चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( न0 पा0 चुनाव ) चिडावा बाबत जोडे जाने  
वार्ड न0 34 चिडावा की मतदाता सूची मे नाम

उपरिथत

1. श्री विजय डाबला एवं श्री वीरेन्द्र सिंह, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोंडेन्ट की ओर से

आदेश

दिनांक 16.09.2020

17

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस0डी0ओ0 ) चिडावा के आदेश  
के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ  
सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्त के अनुसार इस प्रकार है कि अपीलान्त कदीमी  
अरसे से नगरपालिका चिडावा वार्ड नं0 34 क्षेत्र मे आबाद चले आ रहे है। वर्तमान मे अपीलान्त का निवास  
स्थान नगरपालिका चिडावा के वार्ड न0 34 मे स्थित है। आवेदक मय परिवार आबाद है। जांचकर्ता ने मौके  
पर जाकर कोई जांच नहीं की है बल्कि कार्यालय मे बैठकर ही अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट कर दी। अपीलान्त  
के राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह दस्तावेज सब नगरपालिका चिडावा के है। आवेदक का नाम  
नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची के वार्ड न0 30 मे गलत जोड दिये गया। अपीलान्ती वार्ड न0 34

~~जिला कलेक्टर झुंझुनू~~

छाया प्रति प्रमाणित  
कार्यालय अधीक्षक  
कलेक्टर, झुंझुनू

में ही निवास करता है तथा वार्ड नं० 34 व 30 के बी०एल०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलान्टी वार्ड नं० 34 में ही निवास करता है अपीलान्ट एक ही परिवार के सदस्य है और अपीलान्ट ने एक ही आवेदन पत्र में नाम जोड़ने का आवेदन अदालत मातहत में किया था। अदालत मातहत में बी०एल०ओ० की रिपोर्ट पर कोई गौर नहीं किया। अपील अपीलान्ट सुनने का क्षेत्राधिकार अन्तर्गत धारा 17 ( बी ) राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1974 के अधीन है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट का नाम वार्ड नं० 30 से हटाकर नगरपालिका चिडावा की मतदाता सूची के वार्ड नं० 34 में शामिल किये जाने का आदेश क्रमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं० 34 के निवासी है। बी०एल०ओ० ने भी अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट को वार्ड नं० 34 का निवासी माना है। अदालत मातहत में अपीलान्ट के नाम गलत रूप से वार्ड नं० 34 के बजाय 30 में जोड़े जाने के आदेश दिये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 30 से हटाकर वार्ड नं० 34 की मतदाता सूची में जोड़े जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ( वकील रेस्पोजेन्ट ) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में अदालत मातहत के आदेश दिनांक का कोई हवाला नहीं दिया है। इससे स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट किस आदेश के विरुद्ध अपील में आये है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एक ही वार्ड, एक ही स्थान एवं एक ही परिवार की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा०प० दफा 5 मि०अ० स्वीकार किये जाते हैं। अपीलों जिस आदेश के विरुद्ध पेश की गई है वह आदेश ही अस्तित्व में नहीं है अर्थात् प्रस्तुत अपीलों में आदेश दिनांक का कोई अंकन नहीं है। रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ( एस०डी०एम० ) चिडावा के यहां अपीलान्ट द्वारा नगर पालिका चिडावा की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हटवाने या स्थानान्तरित करवाने के लिए कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15




( यू०डी०खान )

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

जिला कलेक्टर झुंझुनू

17/9/2020

छाया प्रति प्रमाणित

  
कार्यालय अधीक्षक  
कलेक्टर, झुंझुनू